

संपादकीय

भारतीय संविधान की है वैश्विक प्रतिष्ठा

दे श में सर्विधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय सर्विधान ने अपनी 75 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा सर्विधान लागू हुआ, तब इसके निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जो समानता, स्वतंत्रता, धर्मीनिरपेक्षता और बुनियादी अधिकारों पर आधारित हो। इस विशाल दस्तावेज़ का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना था जिसमें हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले, न्याय की गारंटी हो और एकता व भईचारे का वातावरण बना रहे। सर्विधान के इन मूल्यों को अपल में लाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन यह भी सच है कि इन लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका। इन अधूरे लक्ष्यों और उनकी समीक्षा के लिए संसद में ईमानदारी से चर्चा होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह चर्चा अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझकर रह जाती है। देश में सर्विधान पर होने वाली बहसें कई बार केवल राजनीतिक दलों की आपसी

नोकझोंक तक सीमित रह जाती है। विषय अक्सर यह आरोप लगाता है कि सत्तारूढ़ दल सर्विधान को बदलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, तथ्यों की बात करें तो अब तक 126 सर्वेधानिक संशोधन हुए हैं, जिनमें से 98 संशोधन काग्रेस शासन के दौरान किए गए। यह इस बात का प्रमाण है कि सर्विधान में संशोधन करना समय और परिस्थिति की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया सर्विधान को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक सशक्त और प्रासारित करने के लिए होती है। सर्विधान निर्माताओं ने यह उम्मीद की थी कि समय के साथ देश सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सर्विधान के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और अर्थिक न्याय की कल्पना की थी। उनके अनुसार, जब तक समाज में समानता और अर्थिक समरसता नहीं आती, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। लेकिन 75 वर्षों के बाद भी हम इस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं। समानता का अधिकार हमारे सर्विधान का एक प्रमुख स्तंभ है, लेकिन आज भी समाज में गंगहरी असमानता मौजूद है। सामाजिक न्याय का मूल्यांकन करने के लिए कोई ठोस राष्ट्रीय तंत्र अब तक नहीं बनाया गया है। सर्विधान में आरक्षण का प्रावधान केवल 10 वर्षों के लिए किया गया था ताकि समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सके। लेकिन यह सवाल उठना स्थापत्यिक है कि यह प्रावधान राजनीतिक एजेंडा क्यों बन गया है? आरक्षण के लाभों का मूल्यांकन और सामाजिक ऑडिट वर्गों नहीं हो सका? क्या यह सच में कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुंचा रहा है या यह केवल कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित रह गया है? सामाजिक न्याय की वास्तविकता को समझने और इसका समाधान ढूँढ़ने के लिए संसद में गंभीरता से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। क्यों कि भारतीय सर्विधान की प्रतिष्ठा वैश्विक है।

ग्राउंड जीरो पर बाल कल्याण क्षेत्र में 'यूनिसेफ' की भूमिका बेहतरीन

भा रत के नजरिए से यूनिसेफ को देखें, तो वर्ष-1949 में मात्र तीन सदस्यीय स्टाफ ने हमारे यहां काम आरंभ किया। लेकिन सन् 1952 में दिल्ली में अपना एक कार्यालय स्थापित किया। वर्तमान में, समूचे भारत में इनके 16 राज्यों में कार्यालय हैं। बाल कल्याण की बात हो या उनके अधिकारों की रक्षा, दोनों में प्रहरी की भूमिका निभाती है 'यूनिसेफ'। इसलिए यूनिसेफ का नाम सुनते ही मन-मस्तिष्क में बच्चे ईद गिर्द घूमने लगते हैं। साथ ही उनकी समस्याओं और सुधारी प्रयासों का जिक्र भी होने लगता है। आज 'विश्व यूनिसेफ दिवस' है। एक ऐसी संस्था जो संसार के 190 देशों के बेहद दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर कर बच्चों के अधिकारों की हिमायत के लिए मजबूती से लड़ती है। बाल कल्याण की सुविधाएं विश्व के प्रत्येक जरूरतमद, कमज़ोर और विचित बच्चों तक पहुंचे, इसलिए लिए यूनिसेफ की टीमें चौबीसों धंटों ग्रांड जीरो पर तैनात रहती हैं। यूनिसेफ का मतलब होता है 'संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष' जिसका आरंभ 11 दिसंबर, 1946 का 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा किया गया था। शुरूआती वर्त में संस्थान में मात्र 43 देश शामिल हुए थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद ये संख्या 100 पार कर गई। पर, आज इस संस्था में 190 मुल्क जुड़े हैं। संख्या में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है। यूनिसेफ के 5 लाख प्रतिनिधि इस समय पूरे संसार में कार्यरत हैं। वहीं, भारत में 18 हजार के करीब बर्कर दुर्गम स्थानों पर बाल कल्याण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाल तस्करी की रोकथाम में इनकी अगल से टीमें कार्य करती हैं।

हिंदुस्तान में रोजाना करीब 69,000 बच्चे पैदा होते हैं। उन सभी नौनिहालों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बाल संरक्षण में यूनिसेफ़ इडिया बेहतरीन कदम उठाने को संकल्पित होता है। मौजूदा समय में यूनिसेफ़ की टीमें युद्धग्रास्त यूक्रेन-रूस, ईरान-इराक, अफगानिस्तान जैसे मुख्यों में अधिकांश जुटी हैं। वहाँ अभावप्रस्त बच्चों की परवरिश करने के अलावा उनकी शिक्षा-स्वास्थ्य में लगे हैं। वैसे देखा जाए तो, विश्व की यूनिसेफ़ की कार्यशैली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब ज्यादा दिखी, जब इनके योद्धाओं ने बिना अपनी जान की परवाह किए युद्ध से आहत, असहाय, बेघर बच्चों को ज़खरती सामानों की आपूर्ति, विभिन्न किस्म की सहायताएं और स्वास्थ्य में सुधार के अभियानों को चलाया। जैसे-जैसे समय बदला, यूनिसेफ़ ने अपनी कार्यशैली में और बदलाव किए। पहले इनका काम सिर्फ़ बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके बाद बच्चों के बेहतर जीवन को बनाने का भी जिम्मा इहोंने अपने कंधों पर उठा लिया। फिलहाल वक्त में, यूनिसेफ़ की टीमें माताओं और नवजात शिशुओं के लिए एचआईबी की रोकथाम और उपचार, पर्याप्त पानी, स्वच्छ वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, बाल स्वास्थ्य व पोषण जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं। भारत के नजरिए से यूनिसेफ़ को देखें, तो वर्ष-1949 में मात्र तीन सदस्यीय स्टाफ़ ने हमारे यहाँ काम आरंभ किया। लेकिन सन् 1952 में दिल्ली में अपना एक कार्यालय स्थापित किया। वर्तमान में, समूचे भारत में इनके 16 राज्यों में कार्यालय हैं। जहाँ ये बच्चों के अधिकारों की हिमायत करते हैं। भारत में इनका प्रतिनिधित्व सिथिया मैकैफै करती है जिनकी नियुक्ति अक्टूबर 2022 में हुई थी। भारत सरकार अपने बजट से बड़ी क्रम इनको सालाना आंकटिट करती है। ताकि हमारे यहाँ दुगम्ब क्षेत्रों में रहने वाले वो बच्चे भी इनके जरिए शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें, जो सरकार की नजरों से छुट जाते हैं। यूनिसेफ़ का मुख्यालय, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है। संस्था का उद्देश्य संसार भर के बच्चों को सुगम जीवन जीने, उहाँ आगे बढ़ाने और अपनी क्षमता का विकास कराने का अधिकार मुहैया कराना होता है। वर्ष 2021 में भारत में यूनिसेफ़ की सेवाओं के 75 वर्ष पूरे हुए। तब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूनिसेफ़ और भारत के सहयोग के साक्ष परायों की समर्पण की।

भारतीय हुक्मूम भी चाहती है कि प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य चंगा हो, सुरक्षा और खुशहाली मिले, इसके लिए वह कार्ड कोर-कसर नहीं छोड़ती। यूनिसेफ के लोग इस बात को विभिन्न वैश्विक मंचों पर कई मर्तबा कह भी चुके हैं कि उन्हें भारत सरकार से सदैव भरपूर सहयोग मिला। 2018 में यूनिसेफ ने 'एवरी चाइल्ड अलाइव' नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था जिसके अनुसार प्रत्येक मां और नवजात शिशु के लिए सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग और उनकी आपूर्ति करने के लिए प्रयासों का श्रीगणेश करना था। उस अभियान ने जबरदस्त सफलता हासिल की। यूनिसेफ के इस समय 150 देशों में कार्यालय, 34 राष्ट्रीय समितियां हैं जो मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं।

यूनिसेफ को सार्वजनिक क्षेत्र के तीन सबसे बड़े भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और विश्व बैंक अधिकांश पैसा देते हैं। बीते दो दशकों में, विश्व भर में बच्चों के जीवित रहने के दर में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई।

दान करने की प्रथा से गरीब वर्ग का होता है कल्याण

श्री रतन टाटा के बाल भारत स्थित संस्थानों को ही दान नहीं देते थे बल्कि वैश्विक स्तर पर समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे संस्थानों को भी दान की राशि उपलब्ध कराते थे। आपने वर्ष 2008 के महामंदी के दौरान अमेरिका स्थित कार्नेल विश्वविद्यालय को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का दान प्रदान किया था। श्री रतन टाटा ने आर्थिक समस्याओं से जूँझ रहे छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जे. एन. टाटा एंडाउनमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरिप एवं टाटा स्कॉलरिप की स्थापना कर दी थी। श्री रतन टाटा चूंकि अपनी कमाई का बहुत बड़ा भाग दान में दे देते थे, अतः उनका नाम कभी भी अमीरों की सूची में बहुत ऊपर उठकर नहीं आ पाया। इस सूची में आप सदैव

नीचे ही बने रहे। श्री रतन टाटा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी राशि का दान किया था कि आज विश्व के 2766 अरबपतियों के पास इतनी सम्पत्ति भी नहीं है। यूं तो टाटा समूह ने भारत राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु कोरोना महामारी के खंडकाल में श्री रतन टाटा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय श्री रतन टाटा ने न केवल भारत बल्कि विश्व के कई अन्य देशों को भी आर्थिक सहायता के साथ साथ वेटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क और दस्ताने आदि सामग्री उपलब्ध कराई।

प्रह्लाद सबनानी

रत म हृदू सनातन संस्कृत के संस्कारा म दान
दक्षिणा की प्रथा का अलग ही महत्व है। भारत
विभिन्न त्यौहारों एवं महापुरुषों के जन्म दिवस पर मर्ते
पर्विदेहों, गुरुद्वारों एवं अन्य पूजा स्थलों पर समाज के सम्पन्न
नागरिकों द्वारा दान करने की प्रथा अति प्राचीन एवं सामान्य
क्रिया है। गरीब वर्ग की मदद करना ईश्वर की सबसे बड़ी
वेवा माना जाता है। समाज में आपस में मिल बांटकर खाना
पोते की प्रथा भी भारत में ही पाई जाती है और यह प्रथा
नारतीय समाज में बहुत आम है। परिवार में आई किसी भी
बुशी की घटना को समाज में विभिन्न वर्गों के बीच आपस
में बांटने की प्रथा भी भारत में ही पाई जाती है। इस उपलक्ष में
ई बार तो बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक एवं धार्मिक
आयोजन भी किए जाते हैं। जैसे जन्म दिवस मनाना
परिवार में शादी के समारोह के पश्चात समाज में नारों
रखतेदारों, दोस्तों एवं मिलने वालों को विशेष आयोजनों में
भास्मत्रित करना, आदि बहुत ही सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा
है। एक अनुमान के अनुसार भारत के विभिन्न मठों, मर्दिरों
उद्गुर्द्वारों एवं अन्य पूजा स्थलों पर प्रतिदिन 10 करोड़ से
धैर्यिक नागरिकों को प्रसादी के रूप में भोजन वितरित
किया जाता है। साथ ही, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश
है, जिसमें निवासरत नागरिक, चाहे वह कितना भी गरीब से
गरीब क्यों न हो, अपनी कमाई में से कुछ राशि का दान ते
न न रुक्करता है। भारतीय शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हिं
ननातन संस्कृत के अनुरूप, महर्षि दधीच ने तो, देवता और
नागों असुरों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से, अपने शरीर के
नी ही दान में देविया था, जिसे इतिहास में उच्चतम बलिदान
में संज्ञा भी दी जाती है।

आज के युग में जब अर्थ को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है, तब अधिक से अधिक धनराशि का दाना करना ही शुभ कार्य माना जा रहा है। इस दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नंजर डालने पर ध्यान में आता है कि दुनिया में सबसे बड़े शानदाता के रूप में आज भारत के टाटा उद्योग समूह के श्रेष्ठ तन टाटा का नाम सबसे ऊपर उभर कर सामने आता है। इस सूची में टाटा समूह के संस्थापक श्री जमशेदजी टाटा का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपने

A close-up photograph showing two hands interacting with a small, circular object, likely a coin or a token. The hands are positioned as if performing a magic trick, with fingers and thumbs meeting over the object. A metal bangle is visible on the left wrist.

जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में 8.29 लाख करोड़ रुपए की राशि का महादान किया था। इसी प्रकार, श्री रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वर्ष 2021 तक 8.59 लाख करोड़ रुपए की राशि का महादान किया था। आप अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब वर्ग की सहायतार्थी दान में दे देते थे। श्री रतन टाटा केवल भारत स्थित संस्थानों को ही दान नहीं देते थे बल्कि विश्विक स्तर पर समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे संस्थानों को भी दान की राशि उपलब्ध कराते थे। आपने वर्ष 2008 के महामंदी के दौरान अमेरिका स्थित कार्नेल विश्वविद्यालय को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का दान प्रदान किया था। श्री रतन टाटा ने आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जे. एन. टाटा एंडाउनमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप एवं टाटा स्कॉलरशिप की स्थापना कर दी थी। श्री रतन टाटा चूंकि अपनी कमाई का बहुत बड़ा भाग दान में दे देते थे, अतः उनका नाम कभी भी अमेरिका की सूची में बहुत ऊपर उठकर नहीं आ पाया। इस सूची में आप सदैव नीचे ही बने रहे। श्री रतन टाटा जी के बारे में कहा जाता है कि उहोंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी राशि का दान किया था कि आज विश्व के 2766

अरबपतियों के पास इन्हीं सम्पत्ति भी नहीं हैं। यूं तो टाटा समूह ने भारत राष्ट्र के निर्माण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु कोरोना महामारी के खंडकाल में श्री रतन टाटा के योगदान को कभी भला नहीं जा सकता है। जिस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी जूँझ रहा था, उस समय श्री रतन टाटा ने न केवल भारतिक विश्व के कई अन्य देशों को भी आर्थिक सहायता साथ साथ वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीट्रिम) किट, मास्क और दस्ताने आदि सामग्री उपलब्ध कराई। रतन टाटा के निर्देशन में टाटा समूह ने इस खंडकाल 1000 से अधिक वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर, 4 लाख पीपीट्रिम किट, 35 लाख मास्क और दस्ताने और 3.50 लाख परीक्षण किट चीन, दक्षिणी कोरिया आदि देशों से भी आये के भारत में उपलब्ध कराए थे। श्री रतन टाटा के पूर्व पारसी समुदाय से थे और ईरान से आकर भारत में चर्चा गए थे। श्री रतन टाटा ने न केवल भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपने जीवन में उतारा, बल्कि संस्कारों का अपने पौरी जीवनकाल में अक्षरशृं अनुपाल भी किया। इन्हीं संस्कारों के चलते श्री रतन टाटा को अपूर्व विश्व में सबसे बड़े दानदाता के रूप में जाना जा रहा है।

सम्बल मस्जिद, अजमेर दरगाह आखिर हम कितने पीछे जाएंगे

राम पूनर्याना

स

न 1980 के दशक में देश में शांति-व्यवस्था और प्रगति पर गम्भीर हमले हुए। साम्प्रदायिक ताकतों के हाथ एक नया औजार बन गया। वे देश के पूजास्थलों के कथित अतीत का उपयोग साम्प्रदायिकता भड़काने के लिए करने लगे। तालकृष्ण आडवाणी ने रथयात्रा निकाली। उनकी पुष्टि मांग यह थी कि जिस स्थल पर पिछले पांच वर्षियों से बाबरी मस्जिद खड़ी थी ठीक उसी स्थल पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बढ़ती कड़वाहट और तनाव के पहेनजर संसद ने एक नया कानून पारित किया जिसके तहत पूजास्थलों की जो प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी, उसे बदला नहीं जा सकेगा और वही अरकरार रहेगी। बाबरी मस्जिद मामले में अपने कर्सले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को उचित घोराया और यह भी कहा कि भविष्य में देश में शांति बनाए रखने की दिशा में यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने को अपराध बताया और यह भी कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बाबरी मस्जिद की नियों कोई मन्दिर दबा हुआ है। 'सबरंग' में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि एक शीर्ष पुरातत्ववेत्ता ऑफेसर सुप्रिया वर्मा, जो सन 2000 के दशक में बाबरी मस्जिद की भूमि पर हुई पुरातात्त्विक खुदाई में, एक अन्य पुरातत्वविद जया मेनन के साथ पर्यवेक्षक थीं, ने एक विवादस्पद बयान में कहा था कि मस्जिद की नियों कोई मन्दिर तो था ही नहीं बल्कि अगर हम जाहरवीं सदी से और पीछे जाकर चौथी या छठवीं वर्दी अर्थात् गुप्तकाल की बात करें तो ऐसा लगता है कि वहाँ एक बौद्ध स्तप्त था।

बाबरी मस्जिद को दक्षिणपंथी ताकतों के नेतृत्व में ढाहा गया था। ढहने वाले नारे लगा रहे थे, ये तो नबल झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है। कुछ समय बहले काशी और मथुरा में सर्वेक्षण की बात कही गई थी। यह इसके बावजूद कि प्लेसेस ॲफ रलीजियस वर्षिप एक्ट 1991 इसे प्रतिबन्धित करता है। जस्टिस चन्द्रचूड़ ने यह कहकर एक मुशीबत खड़ी कर दी है कि अधिनियम पूजा स्थलों में प्रकृति में परिवर्तन को तो प्रतिबंधित करता है लेकिन अगर वह उनके सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाता। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुओं को यह जानने का हक है कि वहां कोई मस्जिद खड़ी है, वहां पहले क्या था। इससे गोड़-मरोड़े गए और काल्पनिक इतिहास का उपयोग भपते एजण्डा को आगे बढ़ाने वालों की बन आई। बहले उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या, काशी और मथुरा में मस्जिदों के नीचे दबे मन्दिरों को उठें सौंप



जाता है तो वे अन्य पूजास्थलों के सम्बन्ध में मांग नहीं करेंगे। मगर अब स्थिति यह है कि नग-अलग अदालतों में कम से कम 12 मस्जिदों दर दरगाहों के सर्वेक्षण की मांग करते हुए याचिकाएँ बैठते हैं। इसके अलावा, कमाल मौला मस्जिद, श्री बुधनगिरी दरगाह, हाजी मलंग दरगाह अदि पर हिन्दुओं द्वारा दावे किए जा रहे हैं। सम्बल की मामस्जिद के बाद सदियों पुरानी अजमेर दरगाह

जमीन में गाड़ दिया था कि उन्हें तोड़ दिया जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के बौद्ध नरेटिव वे अनुसार, मौर्य राजवंश के बौद्ध राजा बुहद्रथ क हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा ईसा पूर्व 184 में की गई थी। इसके साथ एक सम्मानित और प्रतिष्ठित बौद्ध राजवंश (सम्प्राट अशोक भी जिसका शामिल थे) का अंत हुआ और शुंग कुल के शासकों की शुरूआत हुई।

भी हिन्दू सेना नामक एक नए संगठन द्वारा दावा या जा रहा है। यह संगठन शायद इसी काम के लिए जाया गया है। इन सभी मामलों में कुछ दस्तावेजों हवाला दिया जाता है, और अक्सर ये दस्तावेज नाप्रद होते हैं। इनमें से कई मामलों में ब्रिटिश सरकार की अत्यन्त संदेहास्पद भूमिका रही है। जैसे, 'बरानामा' के अपने अनुवाद में बीवरिज ने बिना सभी प्रमाणके एक फुटोनाट डाल दिया जिसमें कहा था कि मस्जिद के नीचे कोई मन्दिर हो सकता है। हास को तोड़ने-मरोड़ने के असंख्य उदाहरण हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो एक विशाल सेना के साथ पाटलीपुर से निकला और पूरे रस्ते स्तूपों को नष्ट करता गया। उसने बौद्ध विहारों को आग ले हवाले कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घास उतार दिया। वो पाटलीपुर से लेकर सकाल (जिस अब सियालकोट कहा जाता है) तक गया और वह पुंचकर उसने यह घोषणा की कि किसी भी श्रमण व्यक्ति का कटा हुआ सिर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। ज्ञा बताते हैं कि मथुरा, जो कुषाण युग में एक समृद्ध व्यापारिक केन्द्र था, वहाँ के कुछ मन्दिर जैसे

तरह मन्दिरों को तोड़ने के भी अनेक कारण थे, नमें मुख्य थे उनकी सम्पत्ति को लूटना और हारे राजा को बेइज्जत करना। अगर हम इतिहास की जरूर करें तो अनेक बौद्ध विहारों को धार्मिक कारणों नष्ट किया गया। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, विश्वाश्रम मंदिर एक पुराना बौद्ध मन्दिर है। हमने इस और कई अन्य बौद्ध मन्दिरों पर कब्जा कर लिया और उनका पुनर्हिन्दूकरण किया॥।। अपनी प्रसिद्ध तत्काल 'सत्यार्थ प्रकाश' में स्वामी दयानन्द स्वती, आदि शंकराचार्य के योगदान की चर्चा तेज हुए लिखते हैं, उन्होंने 10 साल तक पूरे देश भ्रमण किया, जिस दौरान उन्होंने जैन धर्म का डन किया और वैदिक धर्म की पैरोकारी की। चीज खोदने पर जो टूटी-फूटी मर्तियां इन दिनों तरी हैं वे शंकर के समय तोड़ी गई थीं और जो बुत मिलती हैं उन्हें जैनियों ने खुद इस डर से भूतेश्वर और गोकरणेश्वर प्राचीन काल में बौपूजास्थल थे। इतिहास की जो समझ हमारे समाज में है वह हिन्दू राष्ट्रवादी ताकतों द्वारा गढ़ी गई है। इसके जड़ में है अग्रेंडों की फूट डालो और राज करो वा नीति जिसके अंतर्गत उन्होंने इतिहास का साम्प्रदायिक लेखन करवाया। इस इतिहास लेखन में राजाओं को उनके धर्म का प्रतिनिधि बताया जाता है। इस इतिहास लेखन का फोकस मध्यकाल पर है जिस दौरान देश में कई मुस्लिम शासक हुए। जो चीज भुला दी जाती है और जिसका हमारी यादादशत से मिटाने की कोशिश की जा रही है वह यह है कि औरंगाबेने असम के कामाख्य देवी मन्दिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भारी धनराशि भेंट के रूप में दी थी। हम यह भूत जानते हैं कि हिन्दू राजा हवधिव ने देवोत्पत्तननायक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी।

हरियाणा के पिछड़े वर्ग का चेहरा कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

प्रियंका सौरभ

ख रवाला में रणबीर गंगवा के नेतृत्व को कृषि सुधारों, ग्रामीण विकास के और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के प्रति उनके समर्पण से देखा जा सकता है। इनके काम ने किसानों के समर्थन पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में काफ़ी सुधार किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेतृत्व के रूप में ये समुदाय की मदद करने और बरवाला में जीवन को बेहतर बनाने वेलिए समर्पित हैं। ये अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए ऐस्थानीय परियोजनाओं पर काम करते हैं। रणबीर सिंह गंगवा का जन्म 4 मार्च 1964 को हिसार जिले के गंगवा गाँव में हुआ। इनके पिता का नाम राजराम और माता का नाम केसर देवी है। पत्नी अंगूरी देवी से इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। इनकी दो बेटे सुरेंद्र गंगवा और संजीव गंगवा हैं। 34 साल की राजनीतिक यात्रा में इन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद तक का ऐतिहासिक सफ़र तय किया है। गंगवा ने राजनीति की शुरुआत अपने गाँव गंगवा से की थी, जहाँ उन्होंने पंच का चुनाव जीता था। इन्होंने हिसार जिले की बरवाला विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलान का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। रणबीर गंगवा ने 1990 में 26 साल की उम्र में अपने गाँव में पंच का चुनाव लड़ा था, जहाँ से उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 2024 में जीवीपी ने उन्हें ललता कांडा बजाय बरवाला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, जहाँ उन्होंने पहली बार पार्टी को जीत दिलाई। इस ऐतिहासिक जीत में उनकी इस यात्रा में कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का सामना करने की उनकी क्षमता विजय गान करती नजर आर्त है। पिछले कुछ वर्षों में, 60 वर्षीय रणबीर गंगवा हरियाणा की सतारूढ़ भाजपा में पिछड़े वर्ग का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभेरे हैं। नायब सिंह सैनी मौत्रिमंडल में इनको सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और सार्वजनिक निर्माण (भवन और पानी के) विभाग दिया गया है।

रणबीर गंगवा वर्ष 2000 में लम्बी राजनीति के सफर में शामिल हुए जब वह हिसार ज़िला परिषद के लिए चुने गए। 2005 में वे पुनः निर्वाचित हुए और इसके उपाध्यक्ष बने। चार साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इनको इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के टिकट पर नलवा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा। हालांकि, कांग्रेस उमीदवार और पूर्व मंत्री संपत्ति सिंह चुनाव जीत गए। बाद में, गंगवा 2010 में आईएनएलडी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। 2014 में, पार्टी ने इनको फिर से नलवा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और इन्होंने संपत्ति सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन को हराया। 2018 में इन्होंने केविभाजन के बाद, गंगवा 2019 के चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए। ये नलवा से चुने गए और बाद में विधानसभा में डिर्टर्सीकर नहीं। इस बार ये फिर से विधानसभा के लिए चुने गए। बरवाला निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधायिका के सदस्य रणबीर सिंह गंगवा बरवाला में बुनियादी ढांचे और स्थानीय सेवा को बदलने के लिए समर्पित हैं और अपने नेतृत्व कौशल का उत्योग करके खुद को निर्वाचन क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति और ओज़स्वी नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने तथा किसानों युवाओं और महिलाओं के कल्याण की वकालत करने के प्रति इनको प्रतिबद्धता ने इनको समुदाय से सराहना और समर्थन दिलाया है। बरवाला में रणबीर गंगवा के नेतृत्व को कृषि सुधारणा, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार वे प्रति इनके समर्पण से पहचाना जा सकता है। इनको काम ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसमें किसानों को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। रणबीर गंगवा का राजनीतिक जीवन वित्तीय मुद्दों के बारे में पारदर्शिता पर ज़ोर देता है। इन्होंने 34 साल की राजनीतिक यात्रा में एक साफ-सुधार रिकॉर्ड बनाए रखा है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामल नहीं है। इनकी घोषित संपत्ति और देनदारियाँ गजनीतिक नेतृत्व में इनकी ईमानदारी को दर्शाती हैं। इनकी पारदर्शिता का स्तर मतदाताओं को यह विश्वास दिलाता है कि रणबीर गंगवा अपने वित्तीय लेन-देन का स्पष्ट विवरण देने के लिए समर्पित है, जो सार्वजनिक सेवा में एक आवश्यक गुण है।

